[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-4 में प्रकाशनार्थ]

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांकः 25 फ़रवरी, 2019

का.नि.आ.......(अ).- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेना अफसरों के वेतन नियमों, 2017 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ - (1) इन नियमों को सेना अफसर वेतन (संशोधन) नियमावली, 2019 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम 1 जनवरी, 2016 से लागू माने जाएंगे ।

2. सेना अफसर वेतन नियमावली, 2017 में, नियम 12 के खंड (ii) में शब्द "उनका मूल वेतन और उक्त प्रैक्टिस बंदी भत्ता का योग" के स्थान पर शब्द "उनका प्रैक्टिस बंदी भत्ता सहित मूल वेतन और मिलिट्री सेवा वेतन का योग" माना जाएगा ।

[सं. 1(8)/2016-रक्षा (वेतन/सेवाएं) खंड-II-1]

एम. सुब्बा 12/2/19

(एम. सुब्बारायन)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

व्याख्यात्मक ज्ञापन - सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग को 1 जनवरी, 2016 से लागू किया गया है । इसके तहत भारत संघ के रक्षा कार्मिक 1 जनवरी, 2016 से सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन संशोधन के लिए पात्र है । तदनुसार, इन नियमों को 1 जनवरी, 2016 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया है । एतदद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किए जाने से किसी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

टिप्पण:- सेना अफसर वेतन नियमावली, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-4 में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 12(अ), दिनांक 03 मई, 2017 के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है ।